

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर-332001

ई-मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572-245057

क्रमांक:- नविन्यास/नियमन/2024-25/00643

दिनांक:- 07.11.2024

प्रेषिती:-

आयशा यादव पुत्री श्री ताराचन्द यादव
जाति यादव निवासी अहिरो का बास,
पोस्ट माण्डोता जिला सीकर।

विषय:- राजस्व ग्राम गोकुलपुरा तह. सीकर के खसरा नम्बर 1989/7 रकबा 0.7700 है. भूमि में न्यू गोविन्दम सिटी फ़ैज-2 आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम गोकुलपुरा तह. सीकर के खसरा नम्बर 1989/7 रकबा 0.7700 है. भूमि में न्यू गोविन्दम सिटी फ़ैज-2 आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्यक्षीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
 2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनीकीविद की देख-रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों ओर सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
 3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होंगे तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
 4. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन हेतु राशि न्यास कोष में जमा करवाई गई है।
 5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
 6. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
 7. भू-खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू-खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
 8. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
 9. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 15, 16, 17, 18, 19 व 21 कुल भू-खण्ड-6) भू-खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
 10. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allottees).
 11. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
 12. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।
- संलग्न:- अनुमोदित योजना मानचित्र।

(जगदीश प्रसाद गौड़)

सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर

RajKaj Ref
11650752



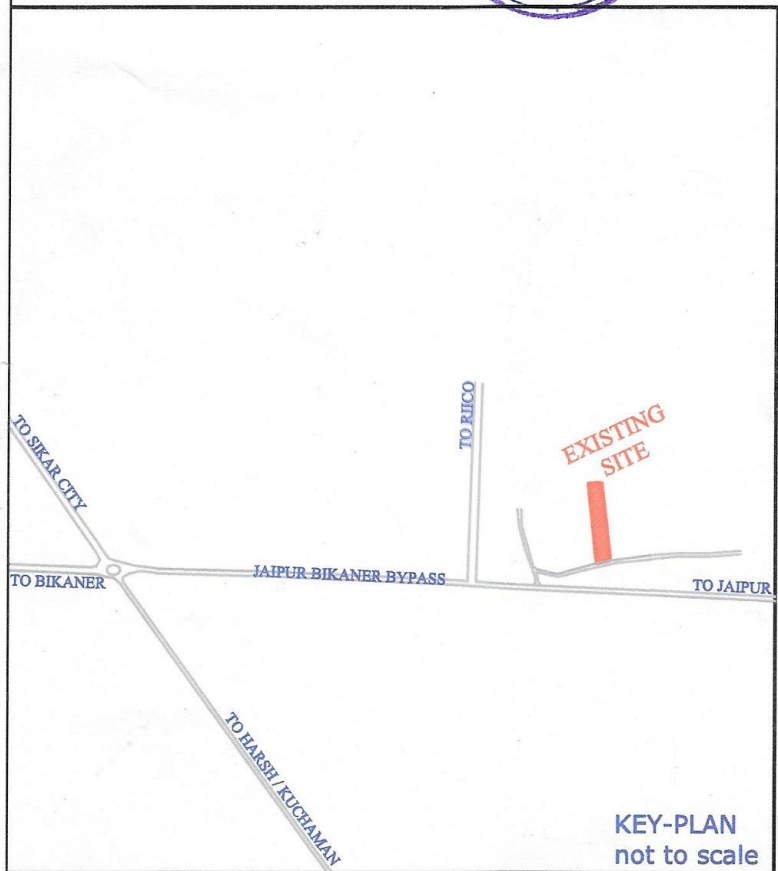
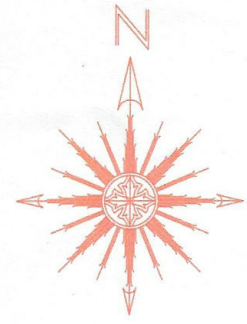
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Designation : Secretary
Date: 2024.11.07 18:26:51 IST
Reason: Approved

NEW GOVINDAM CITY PHASE - 2

LAYOUT PLAN OF KHASRA No. 1989/7, AT VILL. AT VILL. GOKULPURA, DIST. SIKAR (RAJ.)

PURPOSE :- RESIDENTIAL SCHEME

APPLICANT :- AAYSHAYADAV D/o TARACHAND YADAV, AHIRO KA BAS, MANDOTA, SIKAR

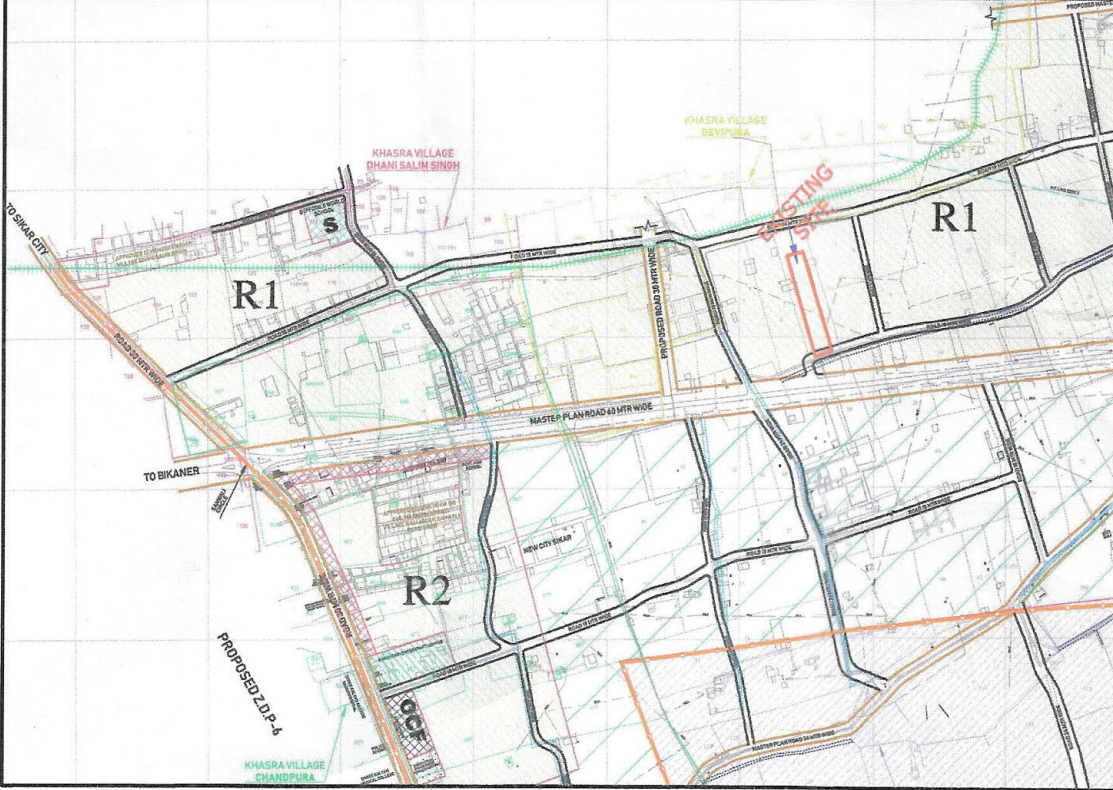
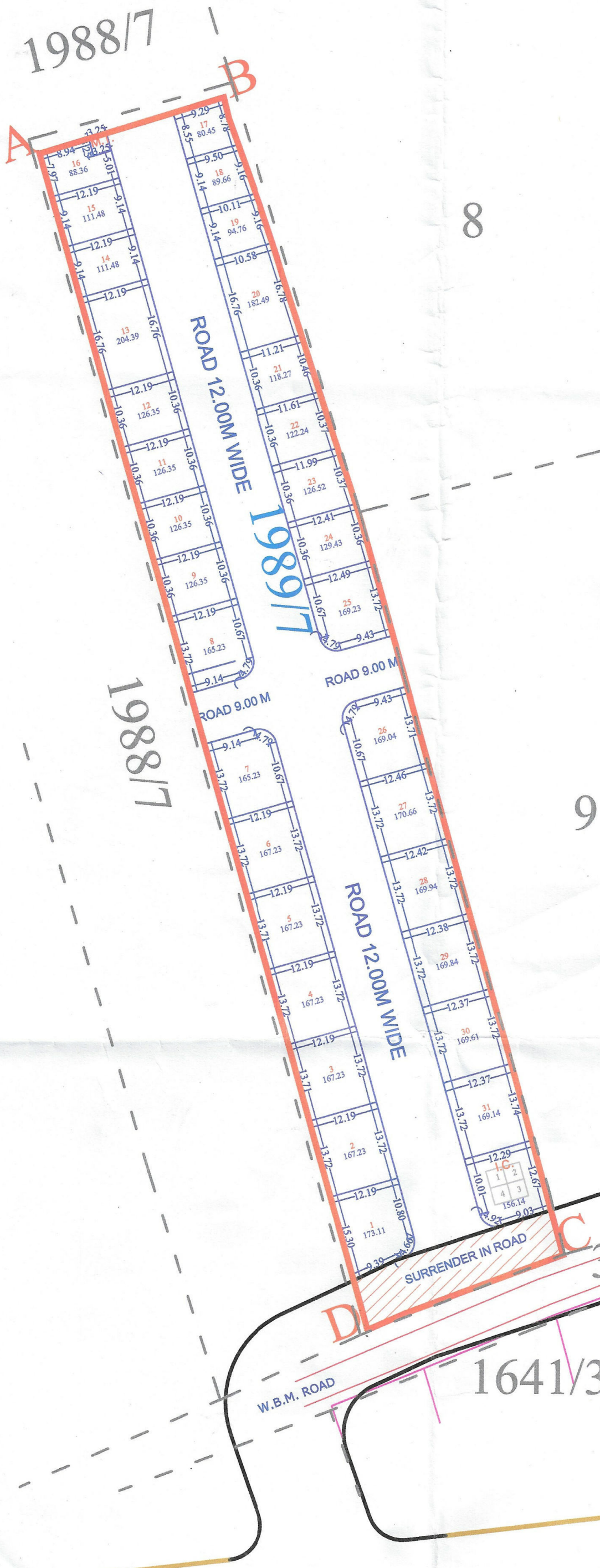


SURVEY WISE LAND USE DETAILS			
S. No.	LAND USE	AREA (Sq. Mtrs.)	Percent
1.	RESIDENTIAL	4492.07	58.34%
2.	ROAD	2718.95	35.31%
3.	MOBILE TOWER	10.57	00.14%
4.	INFORMAL COMM.	156.14	02.03%
5.	SURR. IN ROAD	322.27	04.18%
Total Area		7700.00	100.00%

SCHEME PLOTS DETAIL		
1.	PLOTS	NO.
2.	RESIDENTIAL	31
3.	INFORMAL COMMERCIAL	04
4.	MOBILE TOWER	01

SCALE - 1CM= 7 MTR.	
	SCHEME BOUNDARY
	KHASRA LINE
	PLOT BOUNDARY
	SURR. IN ROAD

इस ले-आउट में ABCD को दर्शाते हैं
योजना क्षेत्र का राजस्व नक्शे से
मिलान किया गया जो लगभग अनुसृत है
9/10/2024
ILR-UIT



MASTER PLAN ROAD 60 MTR WIDE

न्यू गोविन्दम सिटी फेज-2 आवासीय योजना का ले-आउट आज दिनांक 25/10/24 को
ले-आउट कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

NOTE: ALL DIMENSIONS ARE IN METER

SURVEYED BY :- SATYAM ASSOCIATE
10 GOVIND DEV MARKET,
Nr. CHANDPOL GATE, SIKAR(RAJ.)
CELL:- 9829251176, 9887007419

उप नगर नियोजक
नगर सुधार न्यास
सीकर

अधीनस्थ नियोजक
नगर विकास न्यास
सीकर

5/10/24
सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर